

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी: सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या:-54/2024

प्रार्थीगण:-

1. चन्द्रभान पुत्र छोगाराम जाति पुरोहित निवासी अर्थण्डी तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. जगदीश दत्तक पुत्र शंकरराम पुरोहित निवासी अर्थण्डी तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी
2. नरपत सिंह पुत्र गुमानाराम पुरोहित निवासी अर्थण्डी तहसील समदडी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री कैलाशपुरी व श्रवण जांगिड़ वकील प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

--: आदेश ::--

दिनांक :-25.11.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अर्थण्डी तहसील समदडी के मूल खसरा संख्या 255 का विभाजन किये जाने से नये खसरा संख्या 255 व 255/1 बना। खसरा संख्या 255 प्रार्थीगण का व खसरा संख्या 255/1 विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी में रहा। खसरा संख्या 255 के नया खसरा संख्या 885/255 रकबा 5.2933 हैक्टेयर व खसरा संख्या 255/1 का नया खसरा संख्या 886/255 रकबा 2.2096 हैक्टेयर बना। प्रार्थीगण का कब्जा बदिशा उत्तर मे तथा विप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा बदिशा दक्षिण में है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 इसी अनुसार काबिज काशत है। सेग्रीगेशन के दौरान नक्शा ट्रेस में पूर्व में हुई शुद्ध तरमीमी नक्शा में वाइटनर लगाए शुद्ध तरमीमी को मिटा कर दोनो खसरा के मध्य बदिशा उत्तर में लाईन खींचकर तरमीमी को बदलकर प्रार्थीगण के खेत बदिशा दक्षिण में दर्शा दिया गया, राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त तरमीमी में सहवन से मौके व रेकर्ड अनुसार न कर भूमि की तरमीमी गलत इन्द्राज कर दी गई। अतः प्रार्थीगण ने उक्त तरमीमी को दुरुस्त करते हुए वास्तविक कब्जानुसार तरमीमी किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। प्रार्थीगण के विरुद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमला में लाई गई।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तहसीलदार समदडी ने जरिये पत्र क्रमांक-भूअ./2024/1607 दिनांक 24.10.2024 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम एवं मौके पर कब्जा स्थिति में भिन्नता है। पटवारी के पास उपलब्ध पुराना लट्ठा ट्रेस में प्रार्थीगण का खसरा संख्या 885/255 बदिशा उत्तर में अंकित है वर्तमान लट्ठा ट्रेस में पुराने लट्ठाट्रेस अनुसार तरमीम दर्ज थी जिस पर वाईटनर लगाकर वर्तमान में प्रार्थीगण का खसरा संख्या 885/255 दक्षिण में दर्ज किया हुआ है। लट्ठा ट्रेस में किये गये उक्त संशोधन बाबत किसी भी सक्षम अधिकारी के आदेश का भी नोट का अंकन नहीं है तथा प्रार्थीगण का कब्जा विभाजन अनुसार उत्तर दिशा की तरफ ही है। तहसीलदार समदडी की मौका रिपोर्ट व संलग्न नजरी नक्शा से प्रतीत होता है कि ग्राम अर्थण्डी के मूल खसरा संख्या 255 के नये खसरा संख्या 885/255 की तरमीम बदिशा उत्तर व खसरा संख्या 866/255 की तरमीम विभाजन प्रस्ताव अनुसार बदिशा दक्षिण की तरफ की गई थी परन्तु सेग्रीगेशन के दौरान नक्शा ट्रेस में वाईटनर लगाकर प्रार्थीगण के खसरा संख्या 885/255 की तरमीम दक्षिण में अंकित कर दी गई। उक्त तरमीम को दुरुस्ती किये जाने से किसी भी पक्ष के धारित कुल रकबे में किसी प्रकार की कमी पेशी नहीं हो रही है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की तरमीम दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अर्थण्डी तहसील समदडी मूल खसरा संख्या 255 के नया खसरा संख्या 885/255 रकबा 5.2933 हैक्टेयर व खसरा संख्या 255/1 का नया खसरा संख्या 886/255 रकबा 2.2096 हैक्टेयर की लट्ठा नक्शा में विद्यमान वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार समदडी द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। जरिये पत्र क्रमांक-भूअ./2024/1607 दिनांक 24.10.2024 तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बावल)

N
S

गोसा - 38/05
खण्ड: 1 - 885
खण्ड: 2 - 255
खण्ड: 3 - 255
खण्ड: 4 - 255
खण्ड: 5 - 255
खण्ड: 6 - 255
खण्ड: 7 - 255
खण्ड: 8 - 255
खण्ड: 9 - 255
खण्ड: 10 - 255
खण्ड: 11 - 255
खण्ड: 12 - 255
खण्ड: 13 - 255
खण्ड: 14 - 255
खण्ड: 15 - 255
खण्ड: 16 - 255
खण्ड: 17 - 255
खण्ड: 18 - 255
खण्ड: 19 - 255
खण्ड: 20 - 255
खण्ड: 21 - 255
खण्ड: 22 - 255
खण्ड: 23 - 255
खण्ड: 24 - 255
खण्ड: 25 - 255
खण्ड: 26 - 255
खण्ड: 27 - 255
खण्ड: 28 - 255
खण्ड: 29 - 255
खण्ड: 30 - 255
खण्ड: 31 - 255
खण्ड: 32 - 255
खण्ड: 33 - 255
खण्ड: 34 - 255
खण्ड: 35 - 255
खण्ड: 36 - 255
खण्ड: 37 - 255
खण्ड: 38 - 255
खण्ड: 39 - 255
खण्ड: 40 - 255
खण्ड: 41 - 255
खण्ड: 42 - 255
खण्ड: 43 - 255
खण्ड: 44 - 255
खण्ड: 45 - 255
खण्ड: 46 - 255
खण्ड: 47 - 255
खण्ड: 48 - 255
खण्ड: 49 - 255
खण्ड: 50 - 255
खण्ड: 51 - 255
खण्ड: 52 - 255
खण्ड: 53 - 255
खण्ड: 54 - 255
खण्ड: 55 - 255
खण्ड: 56 - 255
खण्ड: 57 - 255
खण्ड: 58 - 255
खण्ड: 59 - 255
खण्ड: 60 - 255
खण्ड: 61 - 255
खण्ड: 62 - 255
खण्ड: 63 - 255
खण्ड: 64 - 255
खण्ड: 65 - 255
खण्ड: 66 - 255
खण्ड: 67 - 255
खण्ड: 68 - 255
खण्ड: 69 - 255
खण्ड: 70 - 255
खण्ड: 71 - 255
खण्ड: 72 - 255
खण्ड: 73 - 255
खण्ड: 74 - 255
खण्ड: 75 - 255
खण्ड: 76 - 255
खण्ड: 77 - 255
खण्ड: 78 - 255
खण्ड: 79 - 255
खण्ड: 80 - 255
खण्ड: 81 - 255
खण्ड: 82 - 255
खण्ड: 83 - 255
खण्ड: 84 - 255
खण्ड: 85 - 255
खण्ड: 86 - 255
खण्ड: 87 - 255
खण्ड: 88 - 255
खण्ड: 89 - 255
खण्ड: 90 - 255
खण्ड: 91 - 255
खण्ड: 92 - 255
खण्ड: 93 - 255
खण्ड: 94 - 255
खण्ड: 95 - 255
खण्ड: 96 - 255
खण्ड: 97 - 255
खण्ड: 98 - 255
खण्ड: 99 - 255
खण्ड: 100 - 255

परिच्छेद 'B

पुराने बख्तखाने की पुराने पुराने

21/10/02

पुराने बख्तखाने

पुराने बख्तखाने
पुराने बख्तखाने

EX-COURT

पुराने बख्तखाने
पुराने बख्तखाने